

## संसदीय समितियाँ

### प्रलिस के लिये:

संसदीय समितियाँ, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 118, अध्यक्ष, राज्यसभा, लोकसभा

### मेन्स के लिये:

संसदीय समितियाँ और इनका महत्त्व

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में 22 स्थायी समितियों का पुनर्गठन हुआ।

## संसदीय समितियाँ:

### परिचय:

- संसदीय समिति सांसदों का एक पैनल है जिसे सदन द्वारा नियुक्त या निर्वाचित किया जाता है या अध्यक्ष/सभापति द्वारा नामित किया जाता है।
- समिति अध्यक्ष/सभापति के निर्देशन में कार्य करती है और यह अपनी रिपोर्ट सदन या अध्यक्ष/सभापति को प्रस्तुत करती है।
- संसदीय समितियों की उत्पत्ति ब्रिटिश संसद में हुई है।
- वे अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 118 से अपना अधिकार प्राप्त करते हैं।
  - अनुच्छेद 105 सांसदों के विशेषाधिकारों से संबंधित है।
  - अनुच्छेद 118 संसद को अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन को नियमित करने के लिये नियम बनाने का अधिकार देता है।

### आवश्यकता:

- विधायी कार्य शुरू करने के लिये संसद के किसी भी सदन में एक विधायक प्रस्तुत किया जाता है लेकिन कानून बनाने की प्रक्रिया अक्सर जटिल होती है तथा संसद के पास वसित चर्चा के लिये सीमित समय होता है।
- साथ ही राजनीतिक ध्रुवीकरण और चर्चा हेतु सामंजस्य का अभाव संसद में तेज़ी से विवेकपूर्ण और अनर्णायक बहसों को जन्म दे रहा है।
  - इन मुद्दों के कारण विधायी कार्य का एक बड़ा निर्णय संसद के बज़ाय संसदीय समितियों में होता है।

## संसद की विभिन्न समितियाँ:

- भारत की संसद में कई प्रकार की समितियाँ हैं। उन्हें उनके काम, उनकी सदस्यता और उनके कार्यकाल के आधार पर विभक्ति किया जा सकता है।
- तथापि मोटे तौर पर संसदीय समितियाँ दो प्रकार की होती हैं- स्थायी समितियाँ और तदर्थ समितियाँ।
  - स्थायी समितियाँ स्थायी (प्रत्येक वर्ष या समय-समय पर गठित) होती हैं और निरंतर आधार पर काम करती हैं।
    - स्थायी समितियों को निम्नलिखित छह श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:
      - वित्तीय समितियाँ
      - **विभागीय स्थायी समितियाँ**
      - जाँच हेतु समितियाँ
      - जाँच और नियंत्रण के लिये समितियाँ
      - सदन के दैनिक-प्रतिदिन के कार्य से संबंधित समितियाँ
      - हाउस कीपिंग या सर्विस कमेटी
  - जबकि तदर्थ समितियाँ अस्थायी होती हैं और उन्हें सौंपे गए कार्य के पूरा होने पर उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है।
    - उन्हें आगे जाँच समितियों और सलाहकार समितियों में विभाजित किया गया है।
    - प्रमुख तदर्थ समितियाँ विधायकों पर प्रवर और संयुक्त समितियाँ हैं।

## संसदीय समितियों का महत्त्व:

- **वधायी विशेषज्ञता प्रदान करना:**
  - अधिकांश सांसद चर्चा किये जा रहे विषयों के विषय विशेषज्ञ नहीं होते हैं, जो जनता की समस्या को समझते हैं लेकिन नरिणय लेने से पूर्व विशेषज्ञों और हतिधारकों की सलाह पर भरोसा करते हैं।
    - संसदीय समितियों सांसदों को विशेषज्ञता हासलि करने में मदद करती हैं और उन्हें मुद्दों पर वसितार से सोचने का समय देती हैं।
- **लघु-संसद के रूप में कार्य करना:**
  - ये समितियाँ एक लघु-संसद के रूप में कार्य करती हैं, क्योंकि उनके पास **वभिनिन दलों का प्रतनिधित्व करने वाले सांसद** होते हैं, जो संसद में उनकी ताकत के अनुपात में, एकल संक्रमणीय चुनाव प्रणाली के माध्यम से चुने जाते हैं।
- **वसितृत जाँच के लयि साधन:**
  - जब इन समितियों को बलि भेजे जाते हैं, तो उनकी बारीकी से जाँच की जाती है और जनता सहति वभिनिन बाहरी हतिधारकों से इनपुट मांगे जाते हैं।
- **सरकार पर नयित्रण प्रदान करता है:**
  - हालाँकि समिति की सफिरारशें सरकार के लयि बाध्यकारी नहीं हैं, लेकिन उनकी रपिरटें उन परामरशों का एक सार्वजनकि रकिर्ड बनाती हैं जो बहस योग्य प्रवधानों पर अपने रुख पर पुनर्वचिर करने के लयि सरकार पर दबाव डालती हैं।
  - बंद दरवाजे और लोगों की नज़रों से दूर होने के कारण समिति की बैठकों में चर्चा भी अधिक सहयोगी होती है, जसिमें सांसद मीडिया दीर्घाओं के लयि कम दबाव महसूस करते हैं।

## संसदीय समितियों को कम महत्त्व दयि जाने से संबद्ध मुद्दे:

- **सरकार की संसदीय प्रणाली का कमज़ोर होना:**
  - संसदीय लोकतंत्र संसद और कार्यपालकि के बीच शक्तियों को समेकति करने के सदिधांत पर काम करता है, लेकिन संसद से यह भी अपेक्षा की जाती है कविह सरकार की ज़मिमेदारी को बनाए रखने के साथ ही इसकी शक्तियों पर भी नयित्रण बनाए रखे।
    - इस प्रकार महत्त्वपूरण वधानों को पारति करते समय **संसदीय समितियों** को महत्त्व न दयि जाने या उन्हें दरकनिर करने से लोकतंत्र के कमज़ोर होने का जोखमि उत्पन्न हो सकता है।
- **ब्रूट मेजोरटी को लागू करना:**
  - भारतीय प्रणाली में यह अनविर्य नहीं है क वधियक समितियों को भेजे जाएँ। यह अध्यक्ष (लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में सभापति) के वविक पर छोड़ दयि गया है।
    - अध्यक्ष को वविकाधीन शक्ति प्रदान कर इस प्रणाली को विशेष तौर पर लोकसभा में जहाँ बहुमत सत्तारूढ़ दल के पास होता है, को कमज़ोर रूप में प्रस्तुत कयि गया है।

## आगे की राह

- पारति कयि गए महत्त्वपूरण वधियकों की जाँच अनविर्य रूप से वधायी प्रक्रयि में बाधा नहीं है, बल्कि कानून की गुणवत्ता और वसितार से शासन की गुणवत्ता को बनाए रखना आवश्यक है।
- इस प्रकार कानून बनाने की प्रक्रयि में संसद की शुचति सुनश्चति करने के लयि मज़बूत संसदीय समिति प्रणाली की आवश्यकता है।

## UPSC सवलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रश्न. भारत की संसद के संदर्भ में नमिनलखिति में से कौन सी संसदीय समिति जाँच करती है और सदन को रपिरट करती है क संवधान द्वारा प्रदत्त या संसद द्वारा प्रत्यायोजति वनियिमों, नयिमों, उप-नयिमों, उप-वधियों आदि को बनाने की शक्तियों का कार्यपालकि द्वारा प्रतनिधिमिंडल के दायरे में उचति रूप से प्रयोग कयि जा रहा है।

- (a) सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति
- (b) अधिनस्थ वधान संबंधी समिति
- (c) नयिम समिति
- (d) कार्य मंत्रणा समिति

उत्तर: (b)

व्याख्या:

- **सरकारी आश्वासन संबंधी समिति:** इस समिति का कार्य समय-समय पर मंत्रयों द्वारा दयि गए आश्वासनों, वादों और उपक्रमों आदिकी सदन के पटल पर जाँच करना है। लोकसभा में इसके सदस्यों की संख्या 15 है, जबकि राज्यसभा में 10 सदस्य हैं।
- **अधिनस्थ वधान संबंधी समिति:** इस समिति का कार्य इस बात की जाँच करना और सदन को रपिरट करना है क क्यि संवधान द्वारा प्रदत्त या संसद द्वारा प्रत्यायोजति वनियिमों, नयिमों एवं उप-नयिमों, उप-वधियों आदि को बनाने की शक्तियों का ऐसे प्रतनिधिमिंडल के भीतर उचति रूप से प्रयोग कयि जा रहा है। लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के लयि यह 15 सदस्यीय नकिय है।

- **नयिम समति:** इसका कार्य सदन में प्रक्रिया और कार्य संचालन के मामलों पर वचिर करना और इन नयिमों में कसी भी संशोधन या परविरधन की सफिरशि करना है जसि आवश्यक समझा जा सकता है। लोकसभा के लयि यह 15 सदस्यीय नकिय है, जबकि राज्यसभा में 16 सदस्य हैं। समति की अधयक्षता राज्यसभा और लोकसभा के लयि क्रमशः सभापतिया अधयक्ष करते हैं।
- इस समतिकी कार्य यह सफिरशि करना है कि सरकार द्वारा लाए जाने वाले वधियाी तथा अन्य कार्यों को नपिटाने के लए कतिना समय नयित कयि जाए।
- **कार्य मंत्रणा समति:** इस समतिकी कार्य उस समय की सफिरशि करना है जो ऐसे सरकारी वधियाी और अन्य कार्य की चर्चा के लयि आवंटति कयि जाना चाहयि क्योंकि अधयक्ष, सदन के नेता के परामर्श से, इसे समतिकी भेजे जाने का नरिदेश दे सकता है। यह लोकसभा में 15 सदस्यीय नकिय है जसिकी अधयक्षता सदन के अधयक्ष करते हैं। इसलयि वकिल्प (b) सही उत्तर है।

[स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस](#)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/parliament-committees>

